राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1645/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–चतुर्थ, निम्बाहेडा — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स चारभुजा ट्रेडिंग कम्पनी
भढेसर,चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री वी.के. पारीक
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, निम्बाहेडा (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त "अपीलीय अधिकारी",वाणिज्यिक कर विभाग,उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 47/वैट/ 2013–14/चित्तौडगढ में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 25.04.2013 पारित करते हुए अधिनियम की धारा 19(ए) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 5000/– को अपास्त किया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की आर से यह अपील प्रस्तुत कीगई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011–12 से सम्बन्धित त्रैमासिक रिटर्न एवं वैट 10ए प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य वर्ष का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.09.2013 पारित कर धारा 58 के अन्तर्गत 5000/– की शास्ति आरोपित की है। उक्त आरोपित शास्ति से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जिसस असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वर्ष 2011–12 से सम्बन्धितत्रैमासिक रिटर्न एवं वैट 10ए प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य वर्ष का कर

निर्धारण आदेश दिनांक 25.09.2013 पारित कर धारा 58 के अन्तर्गत 5000/– की शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2014 विधि के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो पूर्णतः अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ठि नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध किया गया था। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 25.09.2013 में विवरण विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के सम्बन्ध में बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ठि नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध किया गया है।

प्रकरण के तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी के आदेश का अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रत्यर्थी व्यवहारी को विधिसम्मत नोटिस जारी उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पुनः न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य